

श्री प्रकाश गुप्त,
संघ सा सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली ।

विषय: 171 अनुभाग

संज्ञक: दिनांक: 15 मई, 2004

विषय:- महर्षि परंपरि विद्या मन्दिर गुरुकुलम ग्दोपुर काफान्क इलाहाबाद को सी०वी०
ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०वी० ई० नई दिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित
शर्तबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सौतापट्टी का समय-समय पर रवीनीकरण कराया
जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी
छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 3090 मा० शिक्षा परिषद द्वारा
संचालित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से
अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा दोसक शिक्षा
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट बोर्ड/मिशन
नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों
की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा
प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो
जायेंगे ।

संस्था के शिक्षक एवं शिक्षांतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भात्यों से कम वेतनमान तथा अन्य भात्यों नहीं दिये जायेंगे।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अगातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपसंध्य कराये जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिच्छाओं में रखा जायेंगा।

उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिचयन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा एक माह में सातनादेश दिनांक 30-11- के प्रतिबन्धों में बिना सरकार के अनुमोदन के कोई परिचयन/परिच्छा/संशोधन नहीं किया जायेगा। उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि

किसी समय पर पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पूर्ण या शैथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रकृत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

धारा 5,

श्री. प्रकाश गुप्ता
संयुक्त सचिव।

पुस्तक एवं दिनांक सूची

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक जानकारी हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उदुपुलखन।
- 5- प्रबंधक, महर्षि पतंजलि विद्या मन्दिर गुरुकुलम गद्दोपुर, जफामऊ, इलाहाबाद।
- 6- गार्ड फुल।

आज्ञा से,

श्री. प्रकाश गुप्ता
संयुक्त सचिव।

Krishna Gupta
Dr. Krishna Gupta
Secretary

Maharshi Patanjali Vidya Mandir Samiti
2, Shilakhana, Telianganj
Prayagraj-211004

Principal
MPVM Ganga Gurukulam
Gaddopur, Phaphanau
Prayagraj-211013
CBSE Aff. No. 2130645
School Code - 70020